



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112025-267787
CG-DL-E-18112025-267787

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5097]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2025/कार्तिक 27, 1947

No. 5097]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025/KARTIKA 27, 1947

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2025

का.आ. 5267(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की विस्कोस स्टेपल फाइबर से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 6143(ई) दिनांक 29 दिसंबर, 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 29 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित हुई थी, उन बातों के संबंध में जो ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, को छोड़कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. 12015/16/2022-आईटी]

पद्मिनी सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**ORDER**

New Delhi, the 18th November, 2025

S.O. 5267(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Textiles No. S.O. 6143(E) dated 29th December, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 29th December, 2022, relating to Viscose Staple Fibres with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 12015/16/2022-IT]

PADMINI SINGLA, Jt. Secy.